

संख्या: 6613 / VII-2 / 102-ख / 2007

प्रेषक,

श्री पी०सी० शर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

५४  
२१५५६

देहरादून : दिनांक: २२ अगस्त, 2008

विषय: मुख्य खनिज (मुख्यतया लाईमस्टोन, डोलोमाईट, मैग्नेसाइट तथा सोपस्टोन इत्यादि) के खनन हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा की कार्यवाही से पूर्व आवेदित क्षेत्र के 20 मीटर X 20 मीटर ग्रिडों में उपलब्ध खनिजों का रासायनिक विश्लेषण कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 1124/रसायन/2007-08, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के संदर्भ में परीक्षणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में मुख्य खनिज यथा लाईमस्टोन, डोलोमाईट, मैग्नेसाइट तथा सोपस्टोन इत्यादि का उपयोग निम्नानुसार विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में किया जा रहा है :—

1. सोपस्टोन— पेपर उद्योग, टैक्सटाइल्स उद्योग, कास्मेटिक, रबर, सिरेमिक, पेन्ट एवं प्लास्टिक इत्यादि उद्योगों में।
2. लाईमस्टोन-सीमेंट, आयरन एण्ड स्टील, सुगर, ब्लीचिंग पाउडर, कैमिकल, ग्लास, पेन्ट, रबर इत्यादि उद्योगों में।
3. डोलोमाईट-Refractor Bricks के रूप में B.F तथा SMS And Fero Magnege Firnace में फ्लक्स के रूप में, ग्लास उद्योग में।
4. मैग्नेसाइट— इस्पात एवं स्टील में, ग्लास उद्योग में।

2— इन अलग-अलग औद्योगिक इकाईयों के उपयोग हेतु उक्त खनिजों के अलग-अलग मानक/ग्रेड निर्धारित किए गये हैं जिसके अनुसार उक्त खनिजों की रायलटी/मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। मुख्य खनिजों की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में उपयोगिता के दृष्टिगत आवेदकों से इनके खनन हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निर्दारण हेतु विभागीय स्तर पर क्षेत्र निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि आवेदित क्षेत्र के 20 मीटर X 20 मीटर के अलग-अलग ग्रिडों में उपलब्ध खनिज नमूनों को एकत्र कराकर मुख्यालय स्थित रसायन प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराये जिससे न केवल आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों की गुणवत्ता का निर्धारण होगा बल्कि निम्न महत्वपूर्ण तथ्य भी उत्पन्न होंगे :—

1. आवेदक द्वारा आवेदित खनिज की गुणवत्ता का निर्धारण तो होगा ही साथ ही आवेदित खनिज के अतिरिक्त क्षेत्र में उपलब्ध अन्य खनिजों की खोज व उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। एक मुख्य खनिज के साथ अन्य खनिज भी सम्मिलित रहते हैं जिसका निर्धारण

- रासायनिक विश्लेषण द्वारा ही संभव है। इसके अनुसार ही आवेदकों को प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा निर्गत किया जाना उचित होगा।
2. आवेदित खनिजों के रासायनिक विश्लेषण परिणाम से यह सिद्ध हो जायेगा कि उक्त खनिज किस ग्रेड का है तथा किस औद्योगिक इकाई हेतु उपयुक्त होगा जिससे प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को स्थापित कराये जाने में मदद मिलेगी।
  3. आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों के विश्लेषण परिणाम के द्वारा उनके ग्रेड/गुणवत्ता के निर्धारण हो जाने से खनिजों के मूल्यांकन/रायल्टी के निर्धारण में सुविधा होगी जिससे एक ओर खनिज की श्रेणी के अनुरूप रायल्टी प्राप्त होने से राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर उद्यमी को भी खनिज के ग्रेड के अनुसार बाजार मूल्य मिल पायेगा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज के अलावा अन्य जो भी खनिज उपलब्ध होगा उसके विश्लेषणोपरान्त उसकी श्रेणी के अनुरूप राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
  4. यदि आवेदित क्षेत्र में कहीं-कहीं पर खनिज उपयुक्तता के दृष्टिकोण से निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं तो खनिज उद्यमी उसके खनन में होने वाले अनावश्यक व्यय से भी बच सकता है। साथ ही अनावश्यक खनन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को भी एक सीमा तक रोका जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बिन्दुओं के परीक्षणोपरान्त विभागीय स्तर पर इन मुख्य खनिजों के खनन हेतु पी०एल०/एम०एल० से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों से आवेदित क्षेत्र के 20 मीटर X 20 मीटर ग्रिडों के खनिज नमूनों को एकत्र कराकर मुख्यालय रसायन प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टों की कार्यवाही निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)  
प्रमुख सचिव।

**पृष्ठांकन संख्या: 6613(1)/VII-2/202-ख/2007, तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि:** निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को उनके उपरोक्त उल्लिखित पत्र के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)  
प्रमुख सचिव।